25

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.8(ग)(1)नियम/डीएलबी/10/6714-6898 जयपुर, दिनांक: 2-2-2010

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं
....
समस्त राजस्थान।

विषय :– मॉडल नगर निगम/परिषद/पालिका ....(विवाहस्थल का पंजीयन) उपविधि, 2010

आपको मॉडल नगर निगम/परिषद/पालिका ....(विवाहस्थल का पंजीयन) उपविधि, 2010 संलग्न कर, प्रेषित है। आपको निकाय द्वारा अतिशीघ्र उपरोक्त उपविधियों को आपके निकाय में प्रभावशील किये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही कर, की गई प्रगति से सूचित करें।

02.02.2010
शासन उप सचिव

क्रमांक: प.8(ग)(1)नियम/डीएलबी/10/6899-6952 जयपुर, दिनांक: 2-2-010
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर
5. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 ।
6. समस्त अधिकारी, निदेशालय।
7. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को प्रचार प्रसार हेतु
8. सुरक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी

Scanned with OKEN Scanner

Authenticated

मॉडल उपविधी

नगर निगम/परिषद/पालिका...........................

(विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधी, 2010

नगर निकाय क्षेत्र में विवाह स्थल से आमजन को होने वाली असुविधा एवं निकाय द्वारा संपादित सेवाओं पर बढ़ते दबाव के कारण विवाह स्थलों के संचालन के नियंत्रण हेतु जनहित में उपविधी बनाया जाना आवश्यक हो गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी याचिका संख्या एकलपीठ दीवानी याचिका संख्या 7275/06 श्री राजकुमार ताया बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 11-4-08 को इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया गया था। अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) अन्तर्गत की धारा 340 अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम/परिषद्/पालिका................ निम्न लिखित उपविधी बनाती है:–

1. **शीर्षक, सीमा एवं प्रभावः–**

(क) ये उपविधी नगर निगम/परिषद/पालिका............................ (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधी 2010 कहलायेंगे।

(ख) ये उपविधी तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगी।

(ग) ये उपविधी नगर निगम/परिषद/पालिका........................... की स्थानीय निकायों की सीमा में प्रभावशील होंगें।

2. **शाब्दिक परिभाषाएंः–**

जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार होगी:–

I. अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (वर्ष 2009 का अधिनियम संख्या 18) से है।

II. समिति से तात्पर्य नगरपालिका द्वारा धारा 55 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

III. स्थानीय निकाय से तात्पर्य उस क्षेत्र की नगर निगम/नगरपालिका/नगरपरिषद से है।

IV. उपयोग व उपभोग अनुमति से तात्पर्य विवाह स्थल पर इन उपविधियों के अन्तर्गत उपविधी 2 के खण्ड (vii) में वर्णित उपयोगों हेतु दी जाने वाली अनुमति से है।

Scanned with OKEN Scanner

V अनुमति प्राप्तकर्ता से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत विवाह स्थल पंजियन की अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, इसमें इनका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित होगा।

VI अधिकृत प्राधिकारी से तात्पर्य स्थानीय निकाय के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये प्राधिकृत अधिकारी से है जो राजस्व अधिकारी से कनिष्ठ स्तर का नहीं होगा, अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उपविधियों के अन्तर्गत विवाह स्थल की अनुमति एवं संचालन की क्रियान्वति सुनिश्चित की जावेगी।

VII. विवाह स्थल से तात्पर्य नगर निगम/नगरपरिषद/नगरपालिका की सीमा में स्थित ऐसे समस्त भूखण्डों/फार्मो/सामुदायिक केन्द्रो/ भवनों/क्लबों/बैंक्वट हॉल इत्यदि से है जो सगाई/शादी/जन्मदिवस एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोह/उत्सव/प्रदर्शनी/कन्वेंशन/गरबा उत्सव/नव वर्ष आयोजन इत्यदि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाते हैं।

VIII. ऐसे भूखण्ड/भवन जिनका रूपान्तरण/आवंटन व्यावसायिक/ पर्यटन/ संस्थानिक प्रयोजनार्थ किया गया है परन्तु आवंटन की शर्तों में भूखण्ड/भवन का उपयोग उपविधी 2 के खण्ड (vii) में दर्शाये गये विभिन्न सामाजिक प्रयोजनार्थ को सम्मिलित नहीं किया गया है तो ऐसे समस्त भूखण्डधारी/भवन मालिक को "विवाह स्थल" पंजियन हेतु निर्धारित शुल्क दिया जाना अनिवार्य होगा।

IX. प्रपत्र से तात्पर्य इन उपविधी के साथ संलग्न प्रपत्र से है जो शब्द यहां परिभाषित नहीं किये है उनके संबंध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में दी गई परिभाषाएं लागू होंगी।

3. निषेधः—

स्थानीय निकाय की सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्थान, कम्पनी स्थानीय निकाय की अनुमति प्राप्त किये बिना ऐसे स्थान का विवाह स्थल अथवा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं कर सकेगा। वर्तमान में स्थापित विवाह स्थलों के संबंध में दिनांक 31.3.2010 से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अपना कर अनुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा अवैध मानकर कार्यवाही की जावेगी।

4. अनुमति पत्र प्राप्ति की प्रणाली:—

Scanned with OKEN Scanner

कोई भी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी जो स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्थित भूखण्ड / भवन / फार्म हाउस का उपयोग विवाह स्थल / अन्य प्रयोजनार्थ करना चाहता है अथवा इन उपविधियों के पूर्व स्थल का उपयोग, उपरोक्त प्रयोजनार्थ किया जा रहा है तो उसे –

I. निर्धारित प्रपत्र 'क' में आवेदन करना होगा।

II. विवाह स्थल का कम्प्यूटराईज्ड ले–आउट प्लान संलग्न करना होगा तथा उसके संबंध में निम्न विवरण देना अनिवार्य होगा –

(क) महिला व पुरूष के लिये भवन विनियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त शौचालय व मूत्रालय।

(ख) भवन विनियमों में निर्धारित अग्नि शमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था

(ग) आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों को समाहित करने की क्षमता

(घ) आने व जाने के दो रास्ते (सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य) अगर वर्तमान में आवेदित स्थल पर आने जाने का एक ही रास्ता उपलब्ध है तो आवेदनकर्ता को आवेदन करने से पूर्व दूसरा रास्ते की व्यवस्था की जाकर ही आवेदन किया जा सकेगा।

(ड) नगर निगम / नगर परिषद क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 60 फीट होना अनिवार्य होगा तथा अन्य नगर पालिका क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 30 फीट होगी। परंतु 1000 वर्गगज से कम क्षेत्र वाले मैरिज हॉल के संदर्भ में सम्बन्धित नगरपालिका रोड़ चौड़ाई हेतु छूट प्रदान कर सकेगी। सार्वजनिक सामुदायिक केन्द्रो के संबंध मे समस्त नगर निगम/नगर परि द/नगरपालिका क्षेत्रों में सड़क की चौड़ाई 30 फीट रहेगी।

(च) कचरा संग्रह की व्यवस्था तथा गन्दे पानी के निष्कासन की व्यवस्था

(छ) बिजली व पानी की पर्याप्त व्यवस्था तथा इमरजेन्सी लाईट

(ज) वाटर हारवेस्टिंग

(झ) हलवाई/कैटरिंग/अग्नि स्थान जहां भोजन तैयार करने की व्यवस्था की जानी है आवेदित स्थल पर विकसित वृक्षारोपण, पार्क, लैण्डस्केपिंग इत्यदि का विवरण प्रस्तावित आवेदित स्थल पर लिये गये विद्युत कनेक्शन भार का विवरण मय अतिरिक्त जनरेटर रूम व्यवस्था, आतिशबाजी के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान का इंगतिकरण इत्यदि।

(ट) पार्किंग व्यवस्था / यातायात विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

III. संबंधित भूखण्ड के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज की प्रति

IV. यदि उपयोगकर्ता किरायेदार है तो उसे स्थल के मालिक से लिखित में हुए इकरारनामा एवं एम.ओ.यू./अन्य कानूनी दस्तावेज, जिसके तहत निर्धारित स्थल का उपयोग किया जा रहा है कि नोटेराईज्ड प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। एवं विवाह स्थल की अधिसूचना (भूखण्ड/भवन मालिक की सहमति सहित) के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों का उसके द्वारा अक्षरशः पालन किया जावेगा इस हेतु 10/-- का ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

समस्त वांछित औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात् स्थानीय निकाय के अधिकृत प्राधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा आवेदित स्थल की जांच की जाकर अनुमति दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने का निर्णय लिया जाकर आवेदनकर्ता को सूचित किया जा सकेगा।

ले-आउट प्लान अनुमोदन के मुख्य जांच बिन्दुः--

5. प्रक्रियाः--

अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पहली बार विवाह स्थल पजियन की अनुमति देने से पूर्व सार्वजनिक विज्ञप्ति राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में आवेदनकर्ता के व्यय पर प्रकाशित करवायी जावेगी। 15 दिवस में आपत्ति प्राप्त न होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) पंजियन जारी किया जा सकेगा। यदि आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्तिकर्ता की सुनवायी की जाकर प्रकरण का निस्तारण स्थानीय निकाय के शीर्षस्थ प्रशासनिक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

6. भूमि/भवन स्वामित्व की जांचः--

यदि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हों या वांछित दस्तावेज जांच में सही नही पाये जावें तो उपविधी 4 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ जमा करवाई गई विवाह स्थल पंजीयन शुल्क की राशि को लौटाया नहीं जावेगा। आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट करते हुए लिखित मे सूचित करना आवश्यक होगा।

7. अपील--

विवाह स्थल के लिये आवेदनकर्ता के आवेदन को किसी कारण अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अस्वीकार पत्र जारी करने के 30 दिवस में इसकी अपील राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 मे गठित समिति अथवा इस प्रयोजन से अधिकृत समिति में की जा सकेगी।

Scanned with OKEN Scanner

8. आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने की समय सीमा:–

स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने की 30 दिवस की अवधि में आवेदनकर्ता को स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

9. प्रतिबन्धित क्षेत्र:–

a. ऐसे स्थान पर जहां पर रात्रिकालीन शिक्षण संस्थायें या अन्य इस प्रकार की संस्था चालू हो तथा विवाह स्थल की अनुमति दिये जाने पर शिक्षण कार्य में बाधा आती हो, वहां पर विवाह स्थल की अनुमति नही दी जा सकेगी।

b. विवाह स्थल हेतु अनुमति संचालित चिकित्सालय से 100 फीट की परिधी में प्रतिबन्धित होगी।

c. राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों पर अथवा राज्य सरकार की पूर्वानुमति पर स्थानीय निकाय सुरक्षा व जन असुविधा का ध्यान रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

10. विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) पंजियन एवं अनुमति शुल्क:–

(अ) विवाह स्थल पंजियन शुल्क निम्न प्रकार से देय होगा:– (नीचे दी गई दरे समस्त नगरपालिकाओं की श्रेणी एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तालिका के रूप में दी गई है। सम्बन्धित नगर निकाय अपनी श्रेणी के अनुरूप उपविधी में इन्हें दर्शायेंगे।)

जयपुर	अन्य समस्त नगर निगम क्षेत्र	नगर परिषद्	नगरपालिका ग्रेड–II व III	नगरपालिका ग्रेड–IV
1	2	3	4	5
50000/–	30000/–	20000/–	10,000/–	5000/–

(ब) विवाह स्थल उपयोग का अनुमति शुल्क निम्न प्रकार से देय होगा:–

जयपुर	अन्य समस्त नगर निगम क्षेत्र	नगर परिषद्	नगरपालिका ग्रेड–II व III	नगरपालिका ग्रेड–IV
1	2	3	4	5
30/– रू. प्रति वर्गगज	25/– रू. प्रति वर्गगज	20/– रू. प्रति वर्गगज	15/– रू. प्रति वर्गगज	10/– रू. प्रति वर्गगज

यह शुल्क प्रति वित्तीय वर्ष में एकबार देय होगा।

पंजीयन शुल्क एवं विवाह स्थल उपयोग की अनुमति शुल्क पूरे वित्तीय वर्ष हेतु देय होगी चाहे उपरोक्त अनुमति वित्तीय वर्ष के किसी भी माह में जारी की गई हो।

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त विवाह स्थल पंजियन शुल्क एवं विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति शुल्क नगरीय निकाय को देय किसी भी अन्य शुल्क, कर इत्यादि के अतिरिक्त होगा।

नोटः उपविधी 10 के खण्ड (अ) व (ब) के अन्तर्गत जमा करवायी गई शुल्क की राशि स्थानीय निकाय द्वारा आवेदनकर्ता को वापस नहीं लौटाई जावेगी।

नवीनीकरणः— अनुमति प्राप्तकर्ता को प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् विवाह स्थल पंजियन का नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा। जिसके लिये अनुमति प्राप्तकर्ता को आवेदन पत्र देना पर्याप्त होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात् पूर्ण पूर्तियां के साथ आवेदन करना होगा, परन्तु :—

(क) यदि आवेदन प्राप्तकर्ता 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष नवीनीकरण हेतु अप्रेल से पूर्व केवल देय शुल्क जमा करवा देता है तो उसे पर्याप्त माना जाकर नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) अनुमति शुल्क पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये देय होगा यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में समारोह स्थल स्थापित किया जाता है तो भी अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा पूरे वर्ष का शुल्क देना अनिवार्य होगा।

(ग) 01 फरवरी से 31 मार्च की अवधि में स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत विवाह स्थलों द्वारा अग्रिम वित्तीय वर्ष हेतु देय शुल्क जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा यदि उपरोक्तानुसार शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो प्रथम तीन माह तक देय कुल शुल्क की राशि पर 10 प्रतिशत शास्ति एवं तत्पश्चात् प्रतिदिन के विलम्ब पर 50/— रुपये विलम्ब शुल्क के रूप में अतिरिक्त शुल्क शास्ति के रूप में देय होगा।

11. विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) अनुमति पत्र निम्न शर्तों के अध्याधीन होगाः—

(क) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा इसके चारों ओर सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रबंध किये जायेंगे।

(ख) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा इसके संबंध में आवश्यक हिदायतें व सूचनायें परिसर के बाहर बोर्ड लगाकर अंकित की जावेगी। सूचनाओं का निर्धारण एकरूपता के आधार पर स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा।

(ग) ध्वनि प्रदूषण के संबंध में राज्य सरकार/जिला प्रशासन/नगरपालिका द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

(घ) विवाह स्थल पर एकत्रित कचरे के लिये स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित नाप एवं डिजाइन का कचरा पात्र रखना होगा। स्थानीय निकाय कचरे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रति माह एक मुश्त राशि निर्धारित कर पृथक से सेवा शुल्क के रूप में वसूल कर सकेगा।

(ङ) अग्निशमन से संबंधित उपकरण लगवाकर स्थानीय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तों की पालना की जानी अनिवार्य होगी।

(च) संबधित स्थानीय निकाय द्वारा विवाह स्थल से कचरा उठाने का शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा जो अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा देय होगा।

(छ) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा आवेदन स्थल पर सुविधाजनक सुरक्षित पार्किंग स्थल स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध करवाना होगा। अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल से अनुमोदित ले-आउट प्लान में इंगित शर्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए विवाह स्थल विकसित किया जाना अनिवार्य होगा।

12. अभियोजनः–

नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो स्वास्थ्य निरीक्षक से कनिष्ठ पद का नहीं होगा, विवाह स्थल का निरीक्षण कर सकेगा। यदि उपयोग एवं उपभोग में निर्देशित शर्तों उपविधियों का उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 7 दिवस में पूर्ति करने हेतु अनुमति प्राप्तकर्ता को सूचित कर अनुमति पत्र अविलम्ब निरस्त किया जाकर संबंधित विभाग को प्रदत्त शक्तियों से विवाह स्थल सम्पत्ति का स्थानीय उपविधियों के अन्तर्गत अटैचमेन्ट किया जाकर दोषी व्यक्ति, संस्था एवं कम्पनी के विरूद्ध अभियोजन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की जा सकेगी।

13. समझौताः–

न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 में गठित समिति या नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत समिति/अधिकारी को होगा।

14. उपविधियों का उल्लंघनः –

इन उपविधियों में से किसी भी उपविधी का उल्लंघन पाया जाने पर प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 10000/– रूपये का अर्थ दण्ड दिया जाकर उपविधी संख्या 11 के अन्तर्गत कार्यवाही अनुमति प्राप्तकर्ता के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

Authenticated

33

15. **अर्थदण्ड की राशि को स्थानीय कोष में जमा करवानाः–**

अर्थदण्ड की धनराशि अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगरपालिका कोष में जमा करवाई जाकर प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

16. **अवैध विवाह स्थलों का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाहीः–**

यदि किसी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के स्थानीय निकाय सीमा में विवाह स्थल विद्यमान अथवा शुरू किया जाता है तो उसे स्थानीय निकाय द्वारा अवैध मानकर हटाया जा सकेगा एवं अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।

17. **जनरेटर रूम की व्यवस्थाः–**

यह है कि स्थानीय निकाय क्षेत्र स्थित विवाह स्थलों को जेनरेटर इस प्रकार लगाने होंगे जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो एवं उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो।

18. **सार्वजनिक स्थानों के सामाजिक समारोह हेतु उपयोग पर रोकः–**

यह है कि स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्थित विकास समिति एवं गृह निर्माण एवं मोहल्ला विकास समिति द्वारा जो स्थान सार्वजनिक पार्क हेतु छोड़े गये हैं उनका उपयोग विवाह स्थलों हेतु नहीं किया जावेगा, न ही उन्हें अनुमति पत्र जारी किया जावेगा। उनका उपयोग जिस उद्देश्य हेतु रखा गया है उसी उपयोग में लिया जा सकेगा।

19. **सामुदायिक केन्द्रों/सार्वजनिक धर्मशालाओं के विवाह स्थलों के उपयोग पर शुल्क राशि में छूटः–**

भारत सरकार/राज्य सरकार के सरकारी/ अर्द्ध सरकारी विभागों/ उपक्रमों द्वारा निर्मित किये गये विवाह स्थलों जिनका संचालन नागरिक समितियों द्वारा किया जा रहा है के पंजीकरण एवं अनुमति शुल्क हेतु उपविधी 10 के अन्तर्गत निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत राशि शुल्क के रूप में ली जा सकेगी, परन्तु ऐसे विवाह स्थल जिनका संचालन भारत सरकार/राज्य सरकार के सरकारी/ अर्द्ध सरकारी विभागों/ उपक्रमों द्वारा स्वयं के स्तर पर संचालन किया जा रहा है को उपविधी 10 से छुट होगी।

20. **पार्किंग और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करनाः–**

अनुमति प्राप्तकर्ता को पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर सुनिश्चित करनी होगी और स्थानीय पुलिस की अनुमति से सड़क के एक तरफ सिंगल लाईन पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

Authenticated

(34)

यातायात के संबंध में स्थानीय निकाय एवं स्थानीय पुलिस द्वारा विवाह जुलूस को यातायात की सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित किया जा सकेगा। किसी क्षेत्र में सड़क विशेष पर विवाह जुलूस को अनुमति देने हेतु प्रतिबन्धित भी किया जा सकेगा।

21. विवाह स्थलों की भूमि का अन्य उपयोग पर प्रतिबन्धः–

अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल की अनुमति प्राप्त होने के बाद अनुमति पत्र की एक–एक प्रति संबंधित पुलिस थाना व जिलाधीश को देनी आवश्यक होगी। स्थानीय निकाय द्वारा समाज के सामाजिक दायित्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने को दृष्टिगत रखते हुये विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) हेतु जारी अनुमति पत्र किसी भी प्रकार की भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति या अंगीकार नहीं माना जावेगा। अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा भविष्य में संबंधित स्थल का भू उपयोग परिवर्तन चाहने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर संबंधित उपविधियों के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकेगा।

22. स्थानीय निकाय का सर्वाधिकार सुरक्षितः–

विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति पत्र से भूमि/भवन के स्वामित्व का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। स्थानीय निकायों द्वारा विवाह स्थल हेतु जारी अनुमति पत्र की स्वीकृति को कारण स्पष्ट किए बिना निरस्त करने का अधिकार होगा। निरस्तीकरण पर स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

23. वर्तमान में अवैध रूप से संचालित विवाह स्थलों को विवाह स्थल अनुमति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में:–

समस्त स्थानीय निकायो के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निकाय के परिधीय क्षेत्रों में वर्तमान में संचालित विवाह स्थलों एवं उपविधी 2 के खण्ड (vii) में वर्णित अन्य गतिविधियों हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थलों का सर्वेक्षण अधिसूचना जारी होने के 30 दिवस की अवधि में करवाया जाकर जोनवार सूची तैयार की जाकर उपविधी संख्या 10, 11, 12, 13 एवं 14 के तहत कार्यवाही की जावेगीं।

24. निरसन और व्यावृतियाः–

इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् पूर्व में जारी आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियां निरस्त समझी जावेगी, लेकिन इस उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व निरसित आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियों के तहत किया गया कोई कार्य उपविधियां प्रभावशील होने के कारण अवैध नहीं समझा जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

25. **अनुमति प्राप्तकर्ता से शपथ–पत्र प्राप्त किया जाना:–**

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह स्थल की स्वीकृति जारी करने से पूर्व अनुमति प्राप्तकर्ता से 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पत्र पर इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा इन उपविधियों में वर्णित समस्त दिशा निर्देशों को अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावेगी अन्यथा उसका उपयोग एवं उपभोग स्वतः निरस्त समझा जा सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner

भाग—1

कार्यालय, नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद

प्रपत्र – क

विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) हेतु अनुमति पत्र प्राप्त करने बाबत प्रार्थना पत्र

(नगर निगम/परिषद/पालिका नगर निगम/परिषद/पालिका.......................... (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधी 2010 अन्तर्गत)

श्रीमान् प्राधिकृत प्राधिकारी,

नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका

....(शहर का नाम)

विषयः— विवाह स्थल हेतु नवीन अनुमति प्रमाण पत्र जारी करने/पूर्व में जारी अनुमति पत्र का नवीनीकरण करने के संबंध में।

1. विवाह स्थल का नाम : ....
2. संचालक/मालिक/अधिकृत व्यक्ति का नाम : ....
3. पता/दूरभाष नं. (कार्यालय / निवास / मोबाइल) : ....
4. फैक्स/ई-मेल का पता : ....
5. स्थान का पूरा विवरण : ....
6. विवाह स्थल (भूखण्ड/भवन) का सम्पूर्ण (क्षेत्रफल बाहरी परिधीय क्षेत्र के अनुसार) : ....
7. यातायात/अन्य संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र : ....
8. मकान मालिक/भूखण्ड की सहमति प्रमाण पत्र जो नोटरी पब्लिक से प्रमाणित किया गया हो। : ....
9. भूखण्ड/भवन के स्वामित्व से संबंधित नोटरी पब्लिक से प्रमाणित दस्तावेज ....
10. विवाह स्थल का ले आउट प्लान बिन्दु संख्या 4 (ii) में दी गयी शर्तों को सुनिश्चित करते हुये : ....
11. अन्य विवरण : ....

मैंने राजस्थान नगर पालिका (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधी 2009 का अवलोकन/अध्ययन कर लिया है। मैं इन उपविधियों से आबद्ध रहूंगा। उक्त विवाह स्थल का (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति पत्र जारी करने का कष्ट करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

37

भाग–2

कार्यालय, नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद

राजस्थान नगर पालिका (विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र)
(नगर निगम/परिषद/पालिका नगर निगम/परिषद/पालिका.................. (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधी 2010 अन्तर्गत)

:: चैक लिस्ट ::

- विवाह स्थल का नाम : ....
- ~~अनुमति प्राप्तकर्ता का नाम~~ : ....
- विवाह स्थल का विवरण:– :

1. शौचालय व मूत्रालय का विवरण
   - पुरूष : ....
   - महिला : ....
   ....
2. अग्निशमन:अग्निशमन विभाग की अनापत्ति पत्र संलग्न है। : ....
3. यातायात: यातायात विभाग की अनापत्ति प्रमाण–पत्र : ....
4. स्थल के सामने मुख्य सड़क की चौड़ाई................ : ....
5. पार्किंग की व्यवस्था:.................. ....
6. कचरा पात्र की व्यवस्था : ....
   1. स्वयं का कचरा पात्र है ....
   2. नगर पालिका से किराये पर लिया है
7. जनरेटर रूम की व्यवस्था : ....
8. स्थल पर प्रथम चिकित्सीय सुविधा : ....
9. गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था : ....
10. वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान :
11. नजदीक के अस्पताल से दूरी : ....
12. नजदीक फायर स्टेशन से दूरी ....
13. नगरीय विकास कर का विवरण : ....
    जमा करने की रसीद संख्या- ....
    एवं दिनांक (मय फोटो प्रतिलिपि) ....
14. अन्य विवरण : ....

हस्ताक्षर अनुमति प्राप्तकर्ता

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।

क्रमांकः— प.8(ग)( )नियम / डीएलबी / 16 / 3913 दिनांकः 14/02/17

आदेश

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 (1) के अन्तर्गत नगर विकास प्रन्यास उदयपुर पैरा फैरी क्षेत्र में नगर निगम उदयपुर विवाह स्थल पंजीयन उपविधि 2010 के तहत वाटिकाओ को अनुज्ञा देने हेतु नगर निगम उदयपुर को अधिकृत करती है।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः— प.8(ग)( )नियम / डीएलबी / 16 / 3914-3921 दिनांकः 14/02/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. जिला कलेक्टर, उदयपुर।
2. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय उदयपुर।
3. आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर।
4. सचिव, नगर विकास प्रन्यास,उदयपुर।
5. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजजयपुर को उक्त आदेश को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं 5 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
6. प्रभारी,मॉनिटिरिंग सेल को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Office of The District Collector, UDAIPUR	
Category	Urgent Important Routine MP/Minister/MLA
Action	1. Put up on File 2. Send Reply 3. File 4. ....
Section	स्थानीय निकाय
	22.2.17

1362

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
(जी–3, राजमहल पैलेस रेजीडेंशियल एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर–302015)
ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट www.cmar-india.org टेली 0141–2222403 फैक्स–01412222805

क्रमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/29611 जयपुर, दिनांकः 20/07/17

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 सपठित धारा 325 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य की समस्त नगरीय निकायों में प्रभावशील विवाह स्थल उपविधियों में विवाह स्थल की परिभाषा में निम्न स्पष्टीकरण जोडे जाने का निर्देश प्रदान करती है:–

स्पष्टीकरणः–" भूखण्ड से तात्पय ऐसी समस्त भूमियों/भूखण्डों से है जिनमें, कृषि प्रयोजनसे धारित भूमि भी सम्मिलित है।"

अतः उक्त स्पष्टीकरण, स्वीकृति के अनुरूप विवाह स्थल हेतु लाईसेंस जारी किये जावे तथा लाईसेंस फीस की राशि नगर निगम के लिये ₹ 20.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष नगरपरिषद के लिये ₹ 15.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष व नगरपालिकाओं के लिये ₹ 10.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.9(ग)( )नियम/डीएलबी/17/29612-30,002 जयपुर, दिनांकः 20/07/17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग,राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिकाए, राजस्थान।
5. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त/ उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिकाएं, राजस्थान।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

नगर निगम, उदयपुर
3658
क्र.प्रा.
दिनांक 1-8-17

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
स्वायत शासन विभाग

क्रमांक: प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/18/18480

जयपुर, दिनांक 07/09/2018

R.O. 32 MC 5/10/2018 11.10.18

विवाह स्थलों के संचालन/सुरक्षा प्रबंधो की गाइड लाईन

नगरीय निकाय क्षेत्रों में विवाह स्थलों में आमजन की सुविधा, सुरक्षा एवं विवाह स्थलों के संचालन के नियत्रण हेतु जनहित में निम्न गाइड लाईन्स नगरीय निकाय एवं विवाह स्थल संचालको की पालना हेतु जारी की जाती है :–

1. व्यक्ति/संस्था/कम्पनी जो भूखण्ड/भवन/फार्म हाउस का उपयोग विवाह स्थल प्रयोजनार्थ करना चाहता है अथवा पूर्व स्थल का उपयोग किया जा रहा है वह निर्धारित प्रपत्र में निकाय में अनुमति हेतु आवेदन करेगा।
2. नगरीय निकाय द्वारा मौके का निरीक्षण किया जावेगा तथा प्रचलित विवाह स्थल पंजीकरण उपविधि के प्रावधानो की मौके पर सुनिश्चितता/पालना होने के आधार पर आवेदन पत्र का नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा।
3. भवन/स्थल में निर्धारित अग्निशमन यंत्रो की व्यवस्था होनी चाहिए। सम्बन्धित अग्निशमन उपकरण लगाकर निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।
4. सुरक्षा की दृष्टि से आने व जाने के दो रास्ते होने चाहिए।
5. नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में सडक की चौडाई न्यूनतम 60 फीट तथा नगर पालिका क्षेत्र में न्यूनतम 30 फीट होगी।
6. कचरा संग्रहण एवं गंदे पानी के निकास की व्यवस्था संचालक द्वारा की जावेगी।
7. बिजली/पानी, इमरजेन्सी लाईट एवं जनरेटर की व्यवस्था हो।
8. महिला व पुरूष के लिए निर्धारित मापदण्डो के अनुसार पर्याप्त शौचालय व मूत्रालय की व्यवस्था हो।
9. विवाह स्थल में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण हो।
10. हलवाई/कैटरिंग/भोजन तैयार करने के स्थान पर हवा, रोशनी तथा वैन्टीलेशन की पर्याप्त सुविधा रखी जावे।
11. ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में राज्य सरकार/जिला प्रशासन/नगरीय निकाय द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशो की पालना करनी होगी। निर्धारित समय रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रो का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
12. विवाह स्थल संचालक को सुविधाजनक एवं सुरक्षित पार्किंग स्थल न्यूनतम 25 प्रतिशत क्षेत्र में स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध करानी होगी।
13. विवाह स्थल पर अनुज्ञा पत्र धारी को स्वयं के खर्चे पर समुचित गार्डो की व्यवस्था करनी होगी।
14. विवाह स्थल के स्थाई एवं अस्थाई निर्माण के गुणवता/सुरक्षा की जॉच नगरीय निकाय के अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा की जायेगी।
15. विवाह स्थल की परिभाषा में कृषि प्रयोजन से धारित भूमि को भी सम्मिलित किया है।

Scanned with OKEN Scanner

16. नगरीय निकाय द्वारा विवाह स्थल के जारी किये जाने वाले लाईसेन्स में यह भी अंकित किया जावे कि विवाह स्थल कितने व्यक्तियो की क्षमता का है तथा समय-समय पर इस बात का निरीक्षण किया जावे और यदि विवाह स्थल द्वारा क्षमता से अधिक व्यक्तियों हेतु समारोह आयोजित किया जा रहा है तो ऐसे विवाह स्थलों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

17. रात्रि कालीन शिक्षण संस्थाओं के पास विवाह स्थल की अनुमति दिये जाने पर यदि शिक्षण कार्य में बाधा आती हो, वहां पर अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

18. विवाह स्थल का संचालन चिकित्सालय से 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित होगा।

19. निकायो के अधिकारिता क्षेत्र के विवाह स्थलों/सामुदायिक केन्द्रो में होने वाले समारोह के दौरान ईंधन गैस के दुरूपयोग, एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस अंतरण एवं गैस के भण्डारण सम्बन्धित नियमों की पालना करनी होगी तथा ऐसे अवैध कार्य को रोकने के लिए निकाय द्वारा प्रभावशाली कार्यवाही की जावे।

20. विवाह स्थलों पर दृष्टि गोचर स्थान पर सूचना बोर्ड संचालक द्वारा लगाया जावेगा। ऐसे बोर्ड पर विवाह स्थल का नाम/पंजीकरण क्रमांक/अनुमति अवधि/अग्निशमन निरीक्षण दिनांक आदि विवरण अंकित किया जावे, ताकि शहर के आम व्यक्ति को विवाह स्थल के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त रहे।

21. उपविधियो के प्रावधानों की पालना करते हुये नगरीय निकाय के प्राधिकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क, अनुमति शुल्क, सफाई शुल्क एवं उपविधियों में देय अन्य शुल्क नियमानुसार वसूल कर अनुज्ञा पत्र जारी किया जावेगा।

22. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह स्थल की स्वीकृति जारी करने से पूर्व अनुमति प्राप्तकर्ता से नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का स्वः प्रमाणन घोषणा पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा उपविधियों में वर्णित समस्त दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावेगी। व्यक्तियों की सुरक्षा एवं सुविधा के पूर्ण प्रबन्ध रखे जावेगे, अन्यथा विवाह स्थल का उपयोग/उपभोग स्वतः निरस्त समझा जा सकेगा। ऐसे स्वघोषणा प्रमाणन पत्र का मॉडल प्रारूप संलग्न है। निकाय इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन कर सकते है।

23. उपविधियों के प्रावधानो की पालना हेतु नगरीय निकाय के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करने एवं शर्तो का उल्लघंन पाये जाने पर नोटिस देकर उपविधियों के प्रावधान अनुसार स्थल को सीज करने, अभियोजन करने आदि आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी। उपविधियों के प्रावधानो की अवहेलना पर सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही भी निकाय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार की जा सकेगी।

24. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग अपने क्षेत्र में नगरीय निकायो में भ्रमण पर जाने के समय अन्य कार्यो के साथ विवाह स्थलो का रेण्डम निरीक्षण किया जावे, तथा निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति विभाग को भी भेजी जावे।

25. गत अवधि में भरतपुर एवं ब्यावर में हुई दुखान्तिका को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार के यह सख्त आदेश है कि विवाह स्थलो पर समारोह में जन

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

सुरक्षा एवं सुविधा के पर्याप्त प्रबन्ध रहे। अतः समस्त नगरीय निकाय द्वारा उक्त गाइड लाईन्स की पालना सुनिश्चित की जावे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.8(ग)( )निगम/डीएलबी/18/18481-18715 दिनांकः 07/09/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत शासन विभाग, जयपुर
2. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत शासन विभाग, जयपुर
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिकाऐं, समस्त राजस्थान
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिकाऐं, समस्त राजस्थान
7. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned with OKEN Scanner

24

(विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधि, 2010][1]

मॉडल उपविधि

नगर निगम/परिषद्/पालिका.........

नगर निकाय क्षेत्र में विवाह स्थल से आमजन को होने वाली असुविधा एवं निकाय द्वारा संपादित सेवाओं पर बढ़ते दबाव के कारण विवाह स्थलों के संचालन के नियंत्रण हेतु जनहित में उपविधि बनाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (18 ऑफ 2009) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर निगम/परिषद/पालिका. .... निम्नलिखित उपविधि बनाती है–

1. शीर्षक, सीमा एवं प्रभाव.– (क) ये उपविधि नगर निगम/परिषद्/पालिका.......... (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधि, 2010 कहलायेगी।

(ख) ये उपविधि तुरन्त प्रभाव से प्रभावशील होगी।

(ग) ये उपविधि नगर निगम/परिषद्/पालिका...... की स्थानीय निकायों की सीमा में प्रभावशील होंगे।

2. शाब्दिक परिभाषायें.– जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्न शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार होगी :–

(i) ***अधिनियम*** से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (18 ऑफ 2009) से है।

(ii) ***समिति*** से तात्पर्य नगरपालिका द्वारा धारा 55 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

(iii) ***स्थानीय निकाय*** से तात्पर्य उस क्षेत्र की नगर निगम/नगरपालिका/नगर परिषद् से है।

(iv) ***उपयोग व उपभोग अनुमति*** से तात्पर्य विवाह स्थल पर इन उपविधियों के अन्तर्गत उपविधि 2 के खण्ड (vii) में वर्णित उपयोगों हेतु दी जाने वाली अनुमति से है।

(v) ***अनुमति, प्राप्तकर्ता*** से तात्पर्य इन उपविधियों के अन्तर्गत विवाह स्थल पंजीचन की अनुमति प्रदान करने वाले व्यक्ति से है, इसमें इनका अभिकर्ता प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक शामिल होगा।

(vi) ***अधिकृत प्राधिकारी*** से तात्पर्य स्थानीय निकाय के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये प्राधिकृत अधिकारी से है जो राजस्व अधिकारी से कनिष्ठ स्तर का नहीं होगा, अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उपविधियों के अन्तर्गत विवाह स्थल की अनुमति एवं संचालन की क्रियान्विति सुनिश्चित की जावेगी।

---

1. अधि.सं.प. 8(ज) लेखा/पेंशन/विविध/डीएलबी/0386–6569, दिनांक 8.6.2010 द्वारा।

(vii) ***विवाह स्थल*** से तात्पर्य नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका की सीमा में स्थित ऐसे समस्त भूखण्डों/फार्मों/सामुदायिक केन्द्रों/भवनों/क्लबों/बैंक्वट हॉल इत्यादि से है जो सगाई/शादी/जन्म दिवस एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोह/उत्सव/प्रदर्शनी/कन्वेंशन/गरबा उत्सव/नव वर्ष आयोजन इत्यादि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाते है।

(viii) ऐसे भूखण्ड/भवन जिनका रूपान्तरण/आवंटन व्यावसायिक/पर्यटन/संस्थानिक प्रयोजनार्थ किया गया है परन्तु आवंटन की शर्तों में भूखण्ड/भवन का उपयोग उपविधि 2 के खण्ड (vii) में दर्शाये गये विभिन्न सामाजिक प्रयोजनार्थ को शामिल नहीं किया गया है तो ऐसे समस्त भूखण्डधारी/भवन मालिक को "विवाह स्थल" पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क दिया जाना अनिवार्य होगा।

(ix) ***प्रपत्र*** से तात्पर्य इन उनविधि के साथ संलग्न प्रपत्र से है जो शब्द यहाँ परिमापित नहीं किये हैं उनके सम्बन्ध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में दी गई परिभाषायें लागू होगी।

3. निषेध.— स्थानीय निकाय की सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्थान, कम्पनी स्थानीय निकाय की अनुमति प्राप्त किये बिना ऐसे स्थान का विवाह स्थल अथवा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं कर सकेगा। वर्तमान में स्थापित विवाह स्थलों के सम्बन्ध में दिनांक 31.3.2010 से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अपना कर अनुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा अवैध मानकर कार्यवाही की जावेगी।

4. अनुमति पत्र प्राप्ति की प्रणाली :—कोई भी व्यक्ति संस्था, कम्पनी जो स्थानीय निकाय सीमा में स्थित भूखण्ड/भवन/फार्म हाउस का उपयोग विवाह स्थल/अन्य प्रयोजनार्थ करना चाहता है या इन उपविधियों के पूर्व स्थल का उपयोग, उपरोक्त प्रयोजनार्थ किया जा रहा है तो उसे :—

(i) निर्धारित प्रपत्र "क" में आवेदन करना होगा।

(ii) विवाह स्थल कम्प्यूटराईज्ड ले—आउट प्लान संलग्न करना होगा तथा उसके सम्बन्ध में निम्न विवरण देना अनिवार्य होगा :—

(क) महिला व पुरुष के लिये भवन विनियमों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त शौचालय व मूत्रालय।

(ख) भवन विनियमों में निर्धारित अग्नि शमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था।

(ग) आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों की समाहित करने की क्षमता।

(घ) आने व जाने के दो रास्तें (सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य) अगर वर्तमान में आवेदित स्थल पर आने जाने का एक ही रास्ता उपलब्ध है तो आवेदनकर्ता को आवेदन करने से पूर्व दूसरे रास्ते की व्यवस्था की जाकर ही आवेदन किया जा सकेगा।

(ङ) नगर निगम/नगर परिषद् क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 60 फीट होना अनिवार्य होगा तथा अन्य नगरपालिका क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 30

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

फीट होगी। परन्तु 1000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले मैरिज हॉल के संदर्भ में सम्बन्धित नगरपालिका रोड़ चौड़ाई हेतु छूट प्रदान कर सकेगी। सार्वजनिक सामुदायिक केन्द्रों के सम्बन्ध में समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका क्षेत्रों में सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 30 फीट रहेगी।

(च) कचरा संग्रह की व्यवस्था और गन्दे पानी के निष्कासन की व्यवस्था।

(छ) बिजली व पानी की पर्याप्त व्यवस्था तथा इमरजेन्सी लाईट।

(ज) वाटर हारवेस्टिंग।

(झ) हलवाई/कैटरिंग/अग्नि स्थान जहाँ भोजन करने की व्यवस्था की जानी है आवेदित स्थल पर विकसित वृक्षारोपण, पार्क, लैण्डस्केपिंग इत्यादि का विवरण प्रस्तावित आवेदित स्थल पर लिये गये विद्युत कनेक्शन भार का विवरण मय अतिरिक्त जनरेटर रूम व्यवस्था, आतिशबाजी के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थानों को इंगतिकरण इत्यादि।

(ट) पार्किंग व्यवस्था/यातायात विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

(iii) सम्बन्धित भूखण्ड के स्वामित्व से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति।

(iv) यदि उपयोगकर्ता किरायेदार है तो उसे स्थल के मालिक से लिखित में हुए इकरारनामा एवं एम.ओ.यू./अन्य कानूनी दस्तावेज जिसके तहत निर्धारित स्थल का उपयोग किया जा रहा है कि नोटेराईज्ड प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी एवं विवाह स्थल की अधिसूचना (भूखण्ड/भवन मालिक की सहमति सहित) के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों का उसके द्वारा अक्षरशः पालन किया जावेगा। इस हेतु 10/– रुपये का ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

समस्त वांछित औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात् स्थानीय निकाय के अधिकृत अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा आवेदित स्थल की जाँच की जाकर अनुमति दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने का निर्णय लिया जाकर आवेदनकर्ता को सूचित किया जा सकेगा।

ले-आउट प्लान अनुमोदन के मुख्य जाँच बिन्दु–

5. प्रक्रिया.– अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पहली बार विवाह स्थल पंजीयन की अनुमति देने से पूर्व सार्वजनिक विज्ञप्ति राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में आवेदनकर्ता के व्यय पर प्रकाशित करवायी जायेगी। 15 दिवस में आपत्ति प्राप्त न होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) पंजीयन जारी किया जा सकेगा। यदि आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्तिकर्ता की सुनवाई की जाकर प्रकरण का निस्तारण स्थानीय निकाय के शीर्षस्थ प्रशासनिक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

6. भूमि/भवन स्वामित्व की जाँच.– यदि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हों या वांछित दस्तावेज जांच में सही नहीं पाये जावें तो उपविधि 4 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ जमा करवाई गई विवाह स्थल पंजीयन शुल्क की राशि को लौटाया नहीं जावेगा। आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट करते हुये लिखित में

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

सूचित करना आवश्यक होगा।

7. अपील– विवाह स्थल के लिये आवेदनकर्ता के आवेदन को किसी कारण अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अस्वीकार पत्र जारी करने के 30 दिवस में इसकी अपील राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 में गठित समिति अथवा इस प्रयोजन में अधिकृत समिति में की जा सकेगी।

8. आवेदन स्वीकृति/अस्वीकृति करने की समय सीमा– स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने की 30 दिवस की अवधि में आवेदनकर्ता को स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

9. प्रतिबन्धित क्षेत्र.– (a) ऐसे स्थान पर जहाँ पर रात्रिकालीन शिक्षण संस्थायें या अन्य इस प्रकार की संस्था चालू हो तथा विवाह की अनुमति दिये जाने पर शिक्षण कार्य में बाधा आती हो, वहाँ पर विवाह स्थल की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

(b) विवाह स्थल हेतु अनुमति संचालित चिकित्सालय से 100 फीट की परिधि में प्रतिबन्धित होगी।

(c) राज्य सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों पर या राज्य सरकार की पूर्वानुमति पर स्थानीय निकाय सुरक्षा व जन असुविधा का ध्यान रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

10. विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) पंजीयन एवं अनुमति शुल्क–

(अ) **विवाह स्थल पंजीयन शुल्क निम्न प्रकार से देय होगा–** (निम्न दी गई दरें समस्त नगरपालिकाओं की श्रेणी एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तालिका में दी गई है। सम्बन्धित नगर निकाय अपनी श्रेणी के अनुरूप उपविधि में इन्हें दर्शायेंगे।)

जयपुर	अन्य समस्त नगर निगम क्षेत्र	नगर परिषद्	नगरपालिका ग्रेड–II व III	नगरपालिका ग्रेड–IV
1	2	3	4	5
50000/-	30000/-	20000/-	10000/-	5000/-

(ब) **विवाह स्थल उपयोग का अनुमति शुल्क निम्न प्रकार से देय होगा–**

जयपुर	अन्य समस्त नगर निगम क्षेत्र	नगर परिषद्	नगरपालिका ग्रेड–II व III	नगरपालिका ग्रेड–IV
1	2	3	4	5
30/- प्रति वर्गगज	25/- प्रति वर्गगज	20/- प्रति वर्गगज	15/- प्रति वर्गगज	10/- प्रति वर्गगज

यह शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार देय होगा।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

पंजीयन शुल्क एवं विवाह स्थल उपयोग की अनुमति शुल्क पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु देय होगी चाहे उपरोक्त अनुमति वित्तीय वर्ष के किसी भी माह में जारी की गई हो।

उपरोक्त विवाह स्थल पंजीयन शुल्क एवं विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति शुल्क नगरीय विकास निकाय को देय किसी भी अन्य शुल्क कर इत्यादि के अतिरिक्त होगा।

नोट.– उपविधि 10 के खण्ड (अ) व (ब) के अन्तर्गत जमा करवायी गई शुल्क की राशि स्थानीय निकाय द्वारा आवेदनकर्ता को वापस नहीं लौटाई जावेगी।

नवीनीकरण.– अनुमति प्राप्तकर्ता को प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् विवाह स्थल पंजीयन का नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा। जिसके लिये अनुमति प्राप्तकर्ता को आवेदन पत्र देना होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात् पूर्ण पूर्तियों के साथ आवेदन करना होगा, परन्तु–

(क) यदि आवेदन प्राप्तकर्ता 5 वर्ष तक प्रति वर्ष नवीनीकरण हेतु अप्रेल से पूर्व केवल देय शुल्क जमा करवा देता है तो उसे पर्याप्त माना जाकर नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) अनुमति शुल्क पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये, देय होगा यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में समारोह स्थल स्थापित किया जाता है तो भी अनुनति प्राप्तकर्ता द्वारा पूर्ण वर्ष का शुल्क देना अनिवार्य होगा।

(ग) 1 फरवरी से 31 मार्च की अवधि में स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत विवाह स्थलों पर आग्रिम वित्तीय वर्ष हेतु देय शुल्क जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा यदि उपरोक्तानुसार शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो प्रथम तीन माह तक देय कुल शुल्क की राशि पर 10 प्रतिशत शास्ति एवं तत्पश्चात् प्रतिदिन के विलम्ब पर 50/– रुपये विलम्ब शुल्क के रूप में अतिरिक्त शुल्क शास्ति के रूप में देय होगा।

11. विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति पत्र निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा– (क) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा इसके चारों ओर सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक प्रबंध किये जायेंगे।

(ख) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा इसके सम्बन्ध में आवश्यक हिदायतें व सूचनायें परिसर के बाहर बोर्ड लगाकर अंकित की जावेंगी। सूचनाओं का निर्धारण एकरूपता के आधार पर स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा।

(ग) ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में राज्य सरकार/जिला प्रशासन/नगरपालिका द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी।

(घ) विवाह स्थल पर एकत्रित कचरे के लिये स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित नाम एवं डिजाइन का कचरा पात्र रखना होगा। स्थानीय निकाय कचरे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रति माह एक मुश्त राशि निर्धारित कर पृथक से सेवा शुल्क के रूप में वसूल कर सकेगा।

(ङ) अग्निशमन से सम्बन्धित उपकरण लगवाकर स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तों की पालना की जानी अनिवार्य होगी।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

(च) सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा विवाह स्थल से कचरा उठाने का शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा जो अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा देय होगा।

(छ) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा आवेदन स्थल पर सुविधाजनक सुरक्षित पार्किंग स्थल स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध करवाना होगा। अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल से अनुमोदित ले-आउट प्लान में इंगित शर्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये विवाह स्थल विकसित किया जाना अनिवार्य होगा।

12. **अभियोजन.**– नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो स्वास्थ्य निरीक्षक से कनिष्ठ पद का नहीं होगा, विवाह स्थल का निरीक्षण कर सकेगा। यदि उपयोग एवं उपभोग में निर्देशित शर्तों उपविधियों का उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 7 दिवस में पूर्ति करने हेतु अनुमति प्राप्तकर्ता को सूचित कर अनुमति पत्र अविलम्ब निरस्त किया जाकर, संबंधित विभाग को प्रदत्त शक्तियों से विवाह स्थल सम्पत्ति का स्थानीय उपविधियों के अन्तर्गत अटैचमेन्ट किया जाकर दोषी व्यक्ति, संस्था एवं कम्पनी के विरुद्ध अभियोजन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्राधिकृत द्वारा प्रारम्भ की जा सकेगी।

13. **समझौता.**– न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकारी राजस्थान न्यायपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 में गठित समिति या नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत समिति/अधिकारी को होगा।

14. **उपविधियों का उल्लंघन.**– इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन पाया जाने पर प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 10000/– रुपये का अर्थ दण्ड दिया जाकर उपविधि संख्या 11 के अन्तर्गत कार्यवाही अनुमति प्राप्तकर्ता के विरुद्ध अमल में लायी जावेगी।

15. **अर्थदण्ड की राशि को स्थानीय कोष में जमा करवाना.**– अर्थदण्ड की धनराशि अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगरपालिका कोष में जमा करवाई जाकर प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

16. **अवैध विवाह स्थलों का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही.**– यदि किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के स्थानीय निकाय सीमा में विवाह स्थल विद्यमान अथवा शुरू किया जाता है तो उसे स्थानीय निकाय द्वारा अवैध मानकर हटाया जा सकेगा एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

17. **जनरेटर रूम की व्यवस्था.**– यह है कि स्थानीय निकाय क्षेत्र स्थित विवाह स्थलों को जनरेटर इस प्रकार लगाने होंगे जिससे आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो एवं उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो।

18. **सार्वजनिक स्थानों के सामाजिक समारोह हेतु उपयोग पर रोक.**– यह है कि स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्थित विकास समिति एवं गृह निर्माण एवं मोहल्ला विकास समिति द्वारा जो स्थान सार्वजनिक पार्क हेतु छोड़े गये हैं उनका उपयोग विवाह स्थलों हेतु नहीं किया जावेगा, न ही उन्हें अनुमति पत्र जारी किया जावेगा। उनका उपयोग जिस उद्देश्य हेतु रखा गया है उसी उपयोग में लिया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

19. सामुदायिक केन्द्रों/सार्वजनिक धर्मशालाओं के विवाह स्थलों के उपयोग पर शुल्क राशि में छूट.— भारत सरकार/राज्य सरकार के सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा निर्मित किये गये विवाह स्थलों जिनका संचालन नागरिक समितियों द्वारा किया जा रहा है के पंजीकरण एवं अनुमति उपविधि 10 के अन्तर्गत निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत राशि शुल्क के रूप में ली जा सकेगी परन्तु शुल्क हेतु ऐसे विवाह स्थल जिनका संचालन भारत सरकार/राज्य सरकार के सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा स्वयं के स्तर पर संचालन किया जा रहा है की उपविधि 10 से छूट होगी।

20. पार्किंग और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना.— अनुमति प्राप्तकर्ता को पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर सुनिश्चित करनी होगी और स्थानीय पुलिस की अनुमति से सड़क के एक तरफ सिंगल लाईन पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। यातायात के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय एवं स्थानीय पुलिस द्वारा विवाह जुलूस को यातायात की सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित किया जा सकेगा। किसी क्षेत्र में सड़क विशेष पर विवाह जुलूस को अनुमति देने हेतु प्रतिबन्धित किया जा सकेगा।

21. विवाह स्थलों की भूमि का अन्य उपयोग कर प्रतिबन्ध.— अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल की अनुमति प्राप्त होने के बाद अनुमति पत्र की एक–एक प्रति सम्बन्धित पुलिस थाना व जिला कलैक्टर को देनी आवश्यक होगी। स्थानीय निकाय द्वारा समाज के सामाजिक दायित्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने को दृष्टिगत रखते हुये विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) हेतु जारी अनुमति पत्र किसी भी प्रकार की भू–उपयोग परिवर्तन की अनुमति या अंगीकार नहीं माना जायेगा। अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा भविष्य में सम्बन्धित स्थल का भू–उपयोग परिवर्तन चाहने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर सम्बन्धित उपविधियों के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकेगा।

22. स्थानीय निकाय का सर्वाधिकार सुरक्षित.— विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति पत्र से भूमि/भवन के स्वामित्व का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। स्थानीय निकायों द्वारा विवाह स्थल हेतु जारी अनुमति पत्र की स्वीकृति को कारण स्पष्ट किये बिना निरस्त करने का अधिकार होगा। निरस्तीकरण पर स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

23. वर्तमान में अवैध रूप से संचालित विवाह स्थलों को विवाह स्थल अनुमति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में.— समस्त स्थानीय निकायों के प्राधिकृत आधिकारियों द्वारा निकाय के परिधीय क्षेत्रों में वर्तमान में संचालित विवाह स्थलों एवं उपविधि 2 के खण्ड (vii) में वर्णित अन्य गतिविधियों हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थलों का सर्वेक्षण अधिसूचना जारी होने के 30 दिवस की अवधि में करवाया जाकर जोनवार सूची तैयार की जाकर उपविधि संख्या 10, 11, 12, 13 एवं 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

24. निरसन और व्यावृत्तियाँ.— इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् पूर्व में जारी आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियाँ निरस्त समझी जायेगी, लेकिन इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने से

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

पूर्व निरसित आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियों के अन्तर्गत किया गया कोई कार्य उपविधियाँ प्रभावशील होने के कारण अवैध नहीं समझा जावेगा।

25. अनुमति प्राप्तकर्ता से शपथ-पत्र प्राप्त किया जाना.— प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह स्थल की स्वीकृति जारी करने से पूर्व अनुमति प्राप्तकर्ता से 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पत्र पर इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा इन उपविधियों में वर्णित समस्त दिशा निर्देशों को अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावेगी अन्यथा उसका उपयोग एवं उपभोग स्वतः निरस्त समझा जा सकेगा।

कार्यालय नगर निगम/नगरपालिका/ नगर परिषद्

प्रपत्र—'क'

विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) हेतु अनुमति पत्र प्राप्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र

(नगर निगम/परिषद्/पालिका

नगर निगम/परिषद्/पालिका..........(विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधि, 2010 के अन्तर्गत)

श्रीमान् प्राधिकृत प्राधिकारी,
नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका
..............................(शहर का नाम)

विषयः— **विवाह स्थल हेतु नवीन अनुमति प्रमाण पत्र जारी करने/पूर्व में जारी अनुमति पत्र का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में।**

1. विवाह स्थल का नाम : ....
2. संचालक/मालिक/अधिकृत व्यक्ति का नाम : ....
3. पता/दूरभाष नं. (कार्यालय/निवास/मोबाईल) : ....
4. फैक्स/ई—मेल का पता : ....
5. स्थान का पूर्ण विवरण : ....
6. विवाह स्थल (भूखण्ड/भवन) का सम्पूर्ण (क्षेत्रफल बाहरी परिधीय क्षेत्र के अनुसार) : ....
7. यातायात/अन्य सम्बन्धित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र : ....
8. मकान मालिक/भूखण्ड का सहमति प्रमाण पत्र जो नोटरी पब्लिक से प्रमाणित किया गया हो : ....
9. भूखण्ड/भवन के स्वामित्व से सम्बन्धित नोटरी पब्लिक से प्रमाणित दस्तावेज : ....

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

10. विवाह स्थल का ले आउट प्लान बिन्दु संख्या 4(ii) में दी गयी शर्तों को सुनिश्चित करते हुये : ....

11. अन्य विवरण : ....

मैनें राजस्थान नगरपालिका (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधि, 2010 का अवलोकन/अध्ययन कर लिया है। मैं इन उपविधियों से आबद्ध रहूँगा। उक्त विवाह स्थल का (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति पत्र जारी करने का कष्ट करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय नगर निगम/ नगरपालिका/ नगर परिषद्
राजस्थान नगरपालिका (विवाह स्थल(उपयोग एवं उपभोग) हेतु अनुमति पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र)

(नगर निगम/परिषद्/पालिका

नगर निगम/परिषद्/पालिका..........(विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधि, 2010 के अन्तर्गत)

चैक लिस्ट

विवाह स्थल का नाम..

अनुमति प्राप्तकर्ता का नाम..

विवाह स्थल का विवरण.—

1. शौचालय व मूत्रालय का विवरणः—
   पुरुष : ....
   महिला : ....
2. अग्निशमन : अग्निशमन विभाग का अनापत्ति पत्र संलग्न है : ....
3. यातायात : यातायात विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र : ....
4. स्थल के सामने मुख्य सड़क की चौड़ाई : ....
5. पार्किंग की व्यवस्था : ....
6. कचरा पात्र की व्यवस्था : ....
   1. स्वयं का कचरा पात्र है
   2. नगरपालिका से किराये पर लिया है
7. जनरेटर रूम की व्यवस्था : ....
8. स्थल पर फर्स्ट चिकित्सीय सुविधा : ....

Scanned with OKEN Scanner

9. गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था : ....
10. वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान : ....
11. नजदीक के अस्पताल से दूरी : ....
12. नजदीक फायर स्टेशन से दूरी : ....
13. नगरीय विकास कर का विवरण जमा करने की रसीद संख्या एवं दिनांक (मय फोटो प्रतिलिपि) : ....
14. अन्य विवरण : ....

हस्ताक्षर अनुपति प्राप्तकर्ता

कार्यालय नगर निगम/नगरपालिका/नगर परिषद्

(नगर निगम/परिषद्/पालिका

नगर निगम/परिषद्/पालिका..........(विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधि, 2010 के अन्तर्गत)

प्रपत्र-ख

विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) अनुमति पत्र

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि आप द्वारा दिनांक....................को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक.............................. दिनांक.................के अन्तर्गत विवाह स्थल उपयोग हेतु किये गये आदेवन पर उपयोग एवं उपभोग निम्नानुसार जारी किया जाता है:—

1. अनुमति प्राप्तकर्ता का नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. मालिक का नाम व पता : ....
4. दूरभाष नं. (कार्यालय/निवास/मोबाईल) : ....
5. विवाह स्थल का नाम व पता : ....
6. जोन/क्षेत्र का नाम जिनके क्षेत्र में स्थापित होना है : ....
7. वार्ड नं. : ....
8. विवाह स्थल के बारे में विवरण : ....
9. वित्तीय वर्ष : ....

10. आपको निर्देशित किया जाता है कि विवाह स्थल का उपयोग राज्य सरकार द्वारा जारी उपरोक्त उपविधियों में वर्णित समस्त दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा, अन्यथा इस उपयोग एवं उपभोग को स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

(प्राधिकृत प्राधिकारी)

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका,
समस्त राजस्थान

विषय : **विवाह स्थल के पंजीयन एवं उपयोग अनुमति शुल्क से प्राप्त होने वाली आय की सूचना प्रषित करने बाबत्।**

महोदय,

विभागीय सत्र क्रमांक प.8 (x)(1) नियम/एलएसजी/10/6714–6898 दिनांक 2/2/2010 के द्वारा राज्य सरकार के स्तर से मॉडल (विवाह स्थल पंजीयन एवं विवाह स्थल उपयोग अनुमति शुल्क) उपविधि बनाकर प्रेषित कर इसे नियमानुसार मण्डल से प्रभावित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त आदेश दिनांक 2/2/2010 के बिन्दु सं. 10 में विवाह स्थल पंजीयन एवं विवाह स्थल उपयोग अनुमति शुल्क ही दरें दी गई हैं, जो निम्न प्रकार हैं:—

क्र सं.	विवरण	नाम व श्रेणी स्थानीय निकाय				
		नगर निगम जयपुर	जयपुर के अलावा अन्य	नगर परिषद	न.पा.ग्रेड II व III	न.पा.ग्रेड IV व V
अ.	पंजीयन शुल्क की दर प्रतिवर्ष रुपये	50000/-	30000/-	20000/-	10000/-	5000/-
ब.	उपयोग अनुमति शुल्क प्रति वर्ग गज रुपये	30/-	25/-	20/-	15/-	10/-

कृपया उक्त सूचनायें तत्काल प्रेषित करने का श्रम करें।

क्र.सं.	स्वीकृत एवं पंजीकृत किये गये विवाह स्थल के मालिक का नाम व पता	प्रत्येक से वसूली राशि रुपये मासिक मासिक पंजीयन शुल्क उपयोग अनुमति शुल्क	योग

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner